[2009] 3 एस. सी. आर. 964

राजेंद्र सिंह भाटी और अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं 4117- 4118/2001 आदि)

3 मार्च, 2009

[डी. के. जैन और आर. एम. लोधा, न्यायाधिपतिगण]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894:

एसएस 11ए, 48 (1) और (2)- अधिग्रहण की निकासी कार्यवाहियाँ- अधिग्रहण कार्यवाहियों की समाप्ति- के कारण प्रकाशन के दो साल के भीतर मुआवज़ा पास करने में विफलता सरकार द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार को मंजूरी न देने के कारण घोषणा- आयोजितः अधिग्रहण की कार्यवाही में चूक। धारा 11ए अधिग्रहण को वापस लेने के समान नहीं होगा। इसलिए कार्यवाही के तहत मुआवजे का दावा करें। धारा 48 (2) नहीं बनाए रखने योग्य।

धारा 48 (1) अधिग्रहण वापस लेने का निर्णय - आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन- आयोजितः ऐसा फैसला आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान में विचार के लिए प्रश्न अपील (1) के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार को मंजूरी नहीं देने में कलेक्टर, इस अवधि के भीतर पुरस्कार नहीं दिया जा सका और भूमि का अधिग्रहण समाप्त हो जाता है, क्या अधिग्रहण कार्यवाही का ऐसा अंतराल अधिग्रहण से वापस लेने के बराबर होगा? धारा 48 (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण अधिनियम का? और (2) क्या अधिग्रहण से वापस लेने के लिए राज्य सरकार का निर्णय। धारा 48(1)अनिवार्य रूप से आधिकारिक में प्रकाशित किया

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया -

1.1 अधिग्रहण की वैधानिक चूक कार्यवाही। 11 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का ए द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार के अनुमोदन के गैर-अनुदान का परिणाम राज्य सरकार या किसी अन्य कारण से नहीं राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण से वापस लेने के समान, जैसा कि पर विचार किया गया है। आवश्यकता के रूप में परिणामस्वरूप, मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं किया जा सका अधिनियम की धारा 48 (2) के तहत। धारा 11 क, उसमें उपबंधित परिणाम अर्थात अधिग्रहण की समाप्ति मुआवज़ा न दिए

जाने की स्थिति में कार्यवाही की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर किया गया। 6 पूरी तरह से अलग है और सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय से अलग अधिग्रहण से निकासी के लिए। धारा 48 (1), प्रदान किया गया कब्जा नहीं लिया गया है। यह केवल उस मामले में है जब सरकार अधिग्रहण से पीछे हट जाती है। 48(1) कि धारा 48 (2) के आधार पर, में मालिक को हुए नुकसान के लिए मुआवजा अधिग्रहण की कार्यवाही का परिणाम लागत के साथ किया जा सकता है।

1.2 धारा 48 के संदर्भ में, "वापस लेना" शब्द स्वैच्छिक और सचेत निर्णय का संकेत है अधिग्रहण से वापसी के लिए सरकार; धारा 11- ए का उद्देश्य पुरस्कार देने में देरी को रोकना है। कलेक्टर पर एक दायित्व डाला जाता है। धारा 11- ए बनाने के लिए उसमें निर्धारित समय के भीतर मुआवज़ा जो असफल रहता है वैधानिक परिणाम निम्नलिखित है, अर्थात् अधिग्रहण। कार्यवाही स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है।

[पैरा 24] [976- एच; 977 ए- बी]

अब्दुल मजीद साहिब और अन्र बनाम जिला कलेक्टर और अन्य 1997 (1) एस. सी. सी. 297, पर भरोसा किया।

2. [2009] 3 एस. सी. आर. से वापस लेने के लिए सरकार का निर्णय। अधिग्रहण को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है। अधिनियम अधिसूचना के प्रकाशन का प्रावधान करता है और स्पष्ट रूप से

भूमि अधिग्रहण से वापसी अधिनियम की धारा 48 (1) का सहारा लेकर कार्यवाही यह भी इसी तरह से होना चाहिए।

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य **1998 (4) एस. सी. सी. 387, पर भरोसा किया।**

अब्दुल मजीद साहिब और अन्र बनाम जिला कलेक्टर और अन्य **1997 (1) एस. सी. सी. 297, संदर्भित।**

3. तत्काल मामले में, कोई निर्णय नहीं है सरकार से अधिग्रहण से वापसी के लिए। भले ही यह माना जाता है कि ऐसा निर्णय फाइल पर लिया गया था, चूंकि इस तरह के निर्णय को आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है राजपत्र में, अधिग्रहण से कोई निकासी नहीं है अधिनियम की धारा 48 (1) के अर्थ में राज्य सरकार धारा 48 (2) अधिनियम का था, इसलिए, उचित रूप से बनाए रखने योग्य नहीं माना जाता है।

केस कानून संदर्भ:

1997 (1) धारा 297	भरोसा किया	पैरा 24
	संदर्भित	पैरा 27
1998 (4) एस सी सी 387	भरोसा किया	पैरा 27

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या. 4117/2001।

उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा के रिवीजन नंबर 723/2000 में निर्णय एवं आदेश दिनांकित 07.01.2000 से।

साथ

सी.ए. एनओएस 7019-7020/2001, 7023-7024/2001, 7321-7322/ 2001, 7323-7324/2001, 1380-1381/2009, 2009 का 1382-1383।

पी.एस. पटवालिया, टीवीएस राघवेंद्र श्रेये, अंबुज अग्रवाल, अमन प्रीत सिंह राही, निखिल नैय्यर (सी.ए. में संख्या 4117- 2001 का 18) याचिकाकर्ता के लिए।

नीरज कुमार जैन, उमंग शंकर, संजय सिंह और यू.एस. प्रसाद प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

- - - - -

आरएम लोढ़ा, जे.

एसएलपी संख्या 18030- 18031/01 और एसएलपी संख्या 18231-18232/2001 में दी गई छुट्टी।

2. यह निर्णय चौदह सिविल अपीलों के एक समूह का विशेष अनुमति द्वारा निपटान करेगा। चूँकि इन सभी अपीलों में कानून के

सामान्य प्रश्न शामिल किए गए हैं, इसलिए इन्हें एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया और तय किया जाना उचित है।

3. हम स्वयं को केवल सिविल अपील 4117- 4118/2001 के तथ्यों तक ही सीमित रखेंगे क्योंकि इस अपील के तथ्य इस समूह में शामिल अन्य अपीलों के तथ्यों के समान हैं।

4. राजिंदर सिंह (प्रथम अपीलकर्ता) खेवट संख्या 609/793 खसरा संख्या 125/21/3(0- 9), 127/1/2 (2- 4), 2(8) में शामिल भूमि का मालिक है 3(8- 18), 8(5- 0), 9/1(6- 12), 125/2(8- 0), 23(8- 0), 24(4- 10) कुल 51 कनाल 3 मरला. अरकिंदर पाल सिंह (द्वितीय अपीलकर्ता) खेवट नंबर 610/794 खसरा नंबर 125/2/3 (1- 5), 3/2(2- 9), 7/2(2- 0), 8 में जमीन के मालिक हैं। (8- 0), 9/1(1- 0),13(8- 0), 14(8- 0), 15(4- 10), 17(8- 8), 18(8- 0) कुल 51 कनाल 12 मरला. उनके पास संयुक्त रूप से खेवट संख्या 611/795 खसरा संख्या 124/14/2(5- 16), 15/2(5- 11), 30/2(0- 8), 31(0- 8) भूमि भी है।), 125/9/2(6- 4), 11/1/2/(1- 7), 19(8- 0), 20(7- 19), 21/1(4- 4), 124/ 16/1(3- 10), 16/4(1- 16), 125/1/2(4- 8), 12(8- 0) कुल 57 कनाल 6 मरला। अपीलकर्ताओं के स्वामित्व वाली कुल भूमि जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा में स्थित 160 कनाल 16 मरला है।

5. हरियाणा सरकार ने शहरी संपदा विभाग के माध्यम से, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ('हुडा') के कहने पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सेक्टर 20, जगाधरी में भूमि (326.43 एकड़) का अधिग्रहण करने की मांग की; आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक, संचार, परिवहन और थोक बाजार आदि के लिए भूमि का विकास और उपयोग। इस संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 4 के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी जिसे प्रकाशित किया गया था। 7 मार्च 1996 को आधिकारिक राजपत्र में अपीलकर्ताओं की उपरोक्त भूमि उसमें शामिल थी। अपीलकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष अधिनियम की धारा 5- ए के तहत आपत्तियां दायर कीं। अपीलकर्ताओं द्वारा की गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया गया और अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा (अंतिम अधिसूचना) जारी की गई और 6 मार्च, 1997 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने तब अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस जारी किए। भूस्वामियों को उक्त भूमि में उनके सभी हितों के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए कहा जाएगा। अपीलकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष अपना दावा दायर किया। अपीलकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा 3 मार्च, 1999 को सुबह 11.30 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया था। अपीलकर्ताओं के अनुसार, वे 3 मार्च, 1999 को पूरे दिन भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय में उपस्थित रहे, लेकिन कोई

मुआवज़ा नहीं मिला। चूँकि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा धारा 6 के तहत की गई घोषणा के प्रकाशन के दो साल के भीतर मुआवज़ा की घोषणा नहीं की गई थी, अधिनियम की धारा 11- ए के आधार पर, भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो गई।

6. अपीलकर्ताओं ने अधिग्रहण की कार्यवाही में चूक को सरकार द्वारा अधिग्रहण से वापसी के रूप में माना और परिणामस्वरूप, उन्होंने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष अधिनियम की धारा 48(2) के तहत उन्हें हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा दायर किया। मुआवजे की मांग विभिन्न आधारों पर की गई थी, अन्य बातों के अलावा, प्रस्तावित अधिग्रहण से उनकी विभिन्न इकाइयाँ और प्रतिष्ठान प्रभावित हुए; प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण उनकी भूमि में रुचि कम हो गई और उन्होंने अपनी औद्योगिक इकाइयां, पोल्ट्री फार्म आदि स्थापित करने के लिए कहीं और जमीन खरीदने का समझौता किया, वह पैसा उस जमीन की खरीद के लिए निवेश किया गया था लेकिन अधिग्रहण से हटने के कारण, खरीद समझौते रद्द कर दिए गए और विक्रेताओं ने बयाना राशि जब्त कर ली। चूंकि दावे की योग्यता की जांच भूमि अधिग्रहण कलेक्टर या उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई है, इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किए गए मुआवजे का अधिक विवरण देना आवश्यक नहीं है।

7. भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 27 सितंबर, 1999 को अपने संचार के माध्यम से अपीलकर्ताओं को सूचित किया कि अधिनियम की धारा 48 (2) के तहत उनका दावा अब्दुल मजीद साहिब और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर कायम रखने योग्य नहीं था।

8. अपीलकर्ताओं ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, पंचकुला के आदेश/संचार को चुनौती दी। उस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 7 नवंबर, 2000 को पुनरीक्षण आवेदनों के पूरे समूह को खारिज कर दिया और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, पंचकुला के दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि अधिनियम की धारा 48 (2) के तहत मुआवजे का दावा कायम रखने योग्य नहीं था।

9. अपीलकर्ताओं ने 7 नवंबर, 2000 के आदेश की समीक्षा की मांग की। समीक्षा आवेदन भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए। इन्हीं आदेशों से मामला इस न्यायालय तक पहुंचा है।

10. इस स्तर पर हम देख सकते हैं कि 1 मई, 2008 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने हरियाणा राज्य और हुडा को धारा 11- ए, 48 और 48- ए के प्रावधानों के संबंध में अपना रुख बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके जवाब में इन अधिकारियों की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया है. इन अधिकारियों का रुख यह है कि अधिनियम की धारा 11- ए और 48 के प्रावधान अलग और अलग हैं।

धारा 11- ए के अनुसार, कलेक्टर अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर धारा 11 के तहत एक मुआवज़ा देने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत है। कलेक्टर की ओर से उक्त अवधि के भीतर मुआवज़ा देने में विफलता, धारा 11- ए से जुड़े स्पष्टीकरण में प्रदान किए गए समय के बहिष्करण के अधीन अधिग्रहण की कार्यवाही में चूक होती है। दूसरी ओर, धारा 48 सरकार को ऐसी किसी भी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने का अधिकार देती है, जिस पर कब्जा नहीं लिया गया है। अधिग्रहण से हटने के लिए अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना वापस लेने की अधिसूचना का प्रकाशन और धारा 6 के तहत घोषणा प्रकाशित करनी होगी। चूंकि अधिनियम की धारा 48(1) के तहत क्रमशः अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत 7 मार्च 1996 और 6 मार्च 1997 की अधिसूचनाओं के तहत आने वाले अपीलकर्ताओं की भूमि के अधिग्रहण को वापस लेने के लिए कोई अधिसूचना जारी या प्रकाशित नहीं की गई थी, इसलिए अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 48(2) के तहत किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण की कार्यवाही वापस नहीं ली गई है बल्कि इस कारण से समाप्त हो गई है कि कलेक्टर अपीलकर्ताओं की भूमि से संबंधित अधिनियम की धारा 11- ए के तहत पुरस्कार देने में विफल रहे। धारा 48- ए के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त धारा को सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। इसका अनुप्रयोग पंजाब नगर सुधार

अधिनियम, 1922 के तहत शहरी सुधार ट्रस्ट द्वारा बनाई गई योजनाओं तक ही सीमित है।

11. उत्तरदाताओं द्वारा उपर्युक्त प्रतिक्रिया दायर किए जाने के बाद प्रथम अपीलकर्ता द्वारा एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया। अपने अतिरिक्त हलफनामे में, उन्होंने कहा कि उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन किया है और (i) मुख्य प्रशासक, हुडा से 5 मार्च, 1999 के पत्र की प्रति प्राप्त की है ; (ii) सेक्टर 20, जगाधरी में 326.43 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी न देने के निर्णय के संबंध में फ़ाइल नोटिंग के तीन पृष्ठ; (iii) 10 जनवरी 1997 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति और (iv) संपदा अधिकारी, हुडा, जगाधरी के 18 मार्च 1999 के पत्र की प्रति। इस प्रकार, पहले अपीलकर्ता ने अतिरिक्त हलफनामे में कहा कि उपरोक्त दस्तावेजों से पता चलता है कि सक्षम प्राधिकारी ने सेक्टर 20, जगाधरी में 326.43 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी नहीं दी थी क्योंकि प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं था और सरकार का इरादा ऐसा नहीं था। भूमि का अधिग्रहण करना सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण से वापसी के बराबर है।

12. अतिरिक्त हलफनामे के जवाब में, उत्तरदाताओं 2 से 4 ने दोहराया कि राज्य सरकार का भूमि अधिग्रहण न करने का इरादा अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत अधिग्रहण से पीछे हटना नहीं है।

13. श्री.पी.एस. पतवालिया, अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने शुरुआत में प्रस्तुत किया और हमारे विचार में निष्पक्ष रूप से धारा 48- ए को अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने धारा 48- ए पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने सेक्टर 20, जगाधरी में 326.43 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी नहीं देने के सरकार के फैसले और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को इस आशय के संचार के बारे में फाइल नोटिंग का उल्लेख किया और कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की मंजूरी नहीं दी गई थी। अधिग्रहण से स्वैच्छिक वापसी के अलावा कुछ भी नहीं और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को उस निर्णय की सूचना अधिग्रहण से पीछे हटने के सरकार के निर्णय का पर्याप्त प्रकाशन था। विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना था कि धारा 48 अधिग्रहण को वापस लेने के लिए अधिसूचना जारी करने की बात नहीं करती है और इसलिए, अधिग्रहण को मंजूरी न देने का राज्य सरकार का निर्णय अधिग्रहण से हटने का निर्णय था और मुआवजे के लिए याचिका दायर की गई थी। अधिनियम की धारा 48(2) के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया मामला कायम रखने योग्य था।

14. हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1 के साथ- साथ प्रतिवादी नंबर 2 से 4 के वकील ने आग्रह किया कि धारा 11 का पहला प्रावधान कलेक्टर को मुआवज़ा देने से पहले उचित सरकार से मंजूरी लेने का आदेश देता है। वर्तमान मामले में, कलेक्टर ने उपयुक्त सरकार से मुआवज़ा की मंजूरी मांगी, लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी और इस प्रकार, कलेक्टर द्वारा

पुरस्कार नहीं दिया जा सका। विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन न देना अधिग्रहण से पीछे हटना नहीं है। चूंकि घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसलिए भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो गई। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, राज्य सरकार अधिग्रहण से पीछे नहीं हटी थी और इस आशय की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, अधिनियम की धारा 48(2) के तहत मुआवजे के लिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी।

15. प्रस्तावित तर्कों पर, हमारे विचार के लिए दो बिंदु उठते हैं:

I) क्या कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार को मंजूरी नहीं देने के सरकार के निर्णय के मद्देनजर, पुरस्कार घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर नहीं किया जा सका (धारा 6 के तहत अंतिम अधिसूचना) और भूमि का अधिग्रहण व्यपगत हो गया, क्या अधिग्रहण की कार्यवाही में ऐसी चूक अधिनियम की धारा 48(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण से हटने के समान होगी ?

ii) क्या धारा 48 (1) के तहत अधिग्रहण से हटने का राज्य सरकार का निर्णय सरकारी गजट में प्रकाशित होना अनिवार्य है?

16. अधिनियम की धारा 4 में प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन का प्रावधान है जब भी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है या होने की संभावना है। अन्य बातों के साथ- साथ, ऐसी अधिसूचना को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

17. धारा 4 के तहत अधिसूचित भूमि में रुचि रखने वाला व्यक्ति उस भूमि के अधिग्रहण और धारा 5- ए में दिए गए अन्य पहलुओं पर आपत्तियां दर्ज कर सकता है।

18. जब उपयुक्त सरकार धारा 5- ए (2) के तहत कलेक्टर की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद संतुष्ट हो जाती है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता है, तो अधिनियम की धारा 6 के अनुसार एक घोषणा की जाएगी। बनाया गया और अन्य बातों के साथ, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। उक्त घोषणा इस बात का निर्णायक सबूत है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है।

19. धारा 9 भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस का प्रावधान करती है, जिससे उन्हें सरकार के कब्जे लेने के इरादे की जानकारी मिलती है और वे ऐसी भूमि में अपने हित के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

20. धारा 11 कलेक्टर द्वारा माप, मूल्य और दावों की जांच और मुआवज़ा देने का प्रावधान करती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: "11.

(1) इस प्रकार निर्धारित दिन पर, या किसी अन्य दिन जिस पर जांच स्थगित कर दी गई है, कलेक्टर उन आपत्तियों (यदि कोई हो) की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा, जो किसी भी इच्छुक व्यक्ति ने दिए गए नोटिस के अनुसार बताई हैं धारा 9, धारा 8 के तहत की गई माप और धारा 4, उपधारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि पर भूमि के मूल्य में और मुआवजे का दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंधित हितों में और उसके हाथ से एक पुरस्कार बनाओ -

(i) भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल;

(ii) मुआवजा जो उनकी राय में होना चाहिए भूमि के लिए अनुमति दी जाए; और

(iii) भूमि में रुचि रखने वाले ज्ञात या विश्वास वाले सभी व्यक्तियों के बीच उक्त मुआवजे का बंटवारा, जिनके बारे में, या जिनके दावों के बारे में उसे जानकारी है, चाहे वे क्रमशः उसके सामने पेश हुए हों या नहीं:

बशर्ते कि इस उप- धारा के तहत कलेक्टर द्वारा कोई भी पुरस्कार उचित सरकार या ऐसे अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दिया जाएगा जिसे उपयुक्त सरकार इस संबंध में अधिकृत कर सकती है:

आगे बशर्ते कि उपयुक्त सरकार यह निर्देश देने में सक्षम होगी कि कलेक्टर इस तरह के अनुमोदन के बिना मामलों की ऐसी श्रेणी में ऐसा मुआवज़ा दे सकता है जैसा कि उपयुक्त सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

(2) उप- धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि कार्यवाही के किसी भी चरण में, कलेक्टर संतुष्ट है कि भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति जो उसके समक्ष उपस्थित हुए थे, उन्होंने इसमें शामिल किए जाने वाले मामलों पर लिखित रूप से सहमति व्यक्त की है उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कलेक्टर को पुरस्कार देने पर, वह आगे की पूछताछ किए बिना, ऐसे समझौते की शर्तों के अनुसार पुरस्कार दे सकता है।

(3) उपधारा (2) के तहत किसी भी भूमि के लिए मुआवजे का निर्धारण इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार उसी इलाके या अन्य जगहों पर अन्य भूमि के संबंध में मुआवजे के निर्धारण को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा।

(4) पंजीकरण अधिनियम, 1908, (1908 का 16) में निहित किसी भी बात के बावजूद, उप- धारा (2) के तहत किया गया कोई भी समझौता उस अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

21. धारा 11- ए निम्नानुसार प्रदान करती है कि कलेक्टर घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर धारा 11 के तहत एक

मुआवज़ा देगा और यदि उस अवधि के भीतर नहीं दिया जाता है, तो भूमि के अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी - बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां उक्त घोषणा भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ होने से पहले प्रकाशित की गई हो, मुआवज़ा ऐसे प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण - इस धारा में निर्दिष्ट दो वर्षों की अवधि की गणना करते समय, वह अवधि जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्रवाई या कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दी जाती है, को बाहर रखा जाएगा।

22. धारा 48 राज्य सरकार को उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में अधिग्रहण से पीछे हटने में सक्षम बनाती है।

(1) धारा 36 में दिए गए मामले को छोड़कर, सरकार किसी भी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए स्वतंत्र होगी, जिस पर कब्जा नहीं लिया गया है।

(2) जब भी सरकार ऐसे किसी अधिग्रहण से पीछे हटती है, तो कलेक्टर नोटिस या उसके तहत किसी भी कार्यवाही के परिणामस्वरूप मालिक को हुए नुकसान के लिए देय मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगा, और ऐसी राशि का भुगतान इच्छुक व्यक्ति को करेगा। उक्त भूमि से संबंधित इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के अभियोजन में उसके द्वारा किए गए सभी उचित खर्चों के साथ।

(3) इस अधिनियम के भाग III के प्रावधान, इस धारा के तहत देय मुआवजे के निर्धारण के लिए, जहां तक संभव हो, लागू होंगे।

23. धारा 11 के अवलोकन से, विशेष रूप से उसके पहले प्रावधान से, यह स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार के लिए उपयुक्त सरकार का अनुमोदन अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, जब तक मामला धारा 11(2) के अंतर्गत नहीं आता है, कलेक्टर के लिए उस पुरस्कार के लिए उपयुक्त सरकार की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है जिसे वह देने का प्रस्ताव करता है। यदि घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर कलेक्टर द्वारा धारा 11 के तहत कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो भूमि के अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही धारा 11- ए के तहत समाप्त हो जाएगी। धारा 11- ए अधिकतम अवधि प्रदान करती है जिसके भीतर घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पुरस्कार दिया जाना है। डिफ़ॉल्ट रूप से, परिणाम यह होगा कि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। धारा 48(1) राज्य सरकार को दो शर्तों के अधीन किसी भी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने का अधिकार देती है ; (i) मामला धारा 36 के तहत प्रदान नहीं किया गया है और (ii) कब्जा नहीं लिया गया है। धारा 11- ए और उसमें दिए गए परिणाम यानी, धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार नहीं दिए जाने की स्थिति में अधिग्रहण की कार्यवाही का चूक निर्णय से पूरी तरह से अलग और अलग है। जिसे सरकार धारा 48(1) के तहत अधिग्रहण से वापस ले

सकती है, बशर्ते कब्ज़ा नहीं लिया गया हो। यह केवल उस मामले में है जहां सरकार धारा 48(1) के तहत अधिग्रहण से पीछे हट जाती है, धारा 48(2) के आधार पर, लागत के साथ अधिग्रहण की कार्यवाही के परिणामस्वरूप मालिक को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार की मंजूरी न देने के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से धारा 11- ए के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही की वैधानिक चूक राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण से हटने के समान नहीं होगी जैसा कि धारा 48(1) के तहत विचार किया गया है। आवश्यक परिणाम के रूप में, अधिनियम की धारा 48(2) के तहत मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

24. धारा 48 के संदर्भ में, "वापसी" शब्द अधिग्रहण से वापसी के लिए सरकार के स्वैच्छिक और सचेत निर्णय का सूचक है; धारा 11- ए के तहत वैधानिक चूक पूरी तरह से अलग है। धारा 11- ए का उद्देश्य पुरस्कार देने में देरी को रोकना है। धारा 11- ए के तहत कलेक्टर पर निर्धारित समय के भीतर मुआवज़ा देने का दायित्व डाला गया है, ऐसा न करने पर वैधानिक परिणाम भुगतना पड़ता है, अर्थात् अधिग्रहण की कार्यवाही स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है। अब्दुल मजीद के केस में इस न्यायालय ने कहा: "वापसी" शब्द यह दर्शाता है कि सरकार अपनी कार्रवाई से स्वेच्छा से अधिग्रहण से पीछे हट रही है; सरकार को आवश्यक रूप से अधिग्रहण से पीछे हटना होगा, दूसरे शब्दों में, धारा 4 के तहत

प्रकाशित अधिसूचना को वापस लेना चाहिए और धारा 48 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करके धारा 6 के तहत प्रकाशित घोषणा। धारा 48 की उप- धारा (2) तब लागू होगी। इस मामले में, माना जाता है कि, सरकार ने धारा 48 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। धारा 4(1) के तहत अधिसूचना या धारा 6 के तहत घोषणा को वापस लेना। धारा 11- ए के तहत वैधानिक चूक सरकार की ओर से स्वैच्छिक कार्य से अलग है। इसलिए, इसे अधिसूचना को वापस लेना होगा धारा 48(1) के तहत राज्य की ओर से स्वैच्छिक कार्य द्वारा। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता धारा 48 की उपधारा (2) के उपचार का लाभ उठाने का हकदार नहीं है। "

25. वास्तव में, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने अब्दुल मजीद का अनुसरण किया और माना कि धारा 48(2) के तहत अपीलकर्ताओं का दावा कायम रखने योग्य नहीं था।

26. जैसा कि ऊपर देखा गया, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने प्रस्तावित पुरस्कार के लिए सरकार से मंजूरी मांगी। धारा 11 के पहले प्रावधान के अनुसार यह अनिवार्य था। सरकार ने मामले पर विचार किया और प्रस्तावित पुरस्कार को मंजूरी नहीं दी। जब सरकार द्वारा ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी, तो कलेक्टर मुआवज़ा नहीं दे सकते थे और वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई। धारा 11- ए के तहत परिस्थितियों में अधिग्रहण की

कार्यवाही में चूक धारा 48(1) के तहत सरकार द्वारा अधिग्रहण से हटने के समान नहीं होगी। अतः, हम बिंदु (एक) का उत्तर नकारात्मक में देते हैं।

27. अब इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या धारा 48(1) के तहत अधिग्रहण वापस लेने के सरकार के निर्णय कोआधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है? यह सच है कि धारा 48 स्पष्ट शब्दों में अधिग्रहण वापस लेने के सरकार के निर्णय को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। अब्दुल मजीद मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि धारा 4(1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना को वापस लेने और धारा 48(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करके धारा 6 के तहत घोषणा का प्रकाशन होना चाहिए। प्रथम सिद्धांतों पर भी, ऐसी आवश्यकता अंतर्निहित प्रतीत होती है। अधिनियम आधिकारिक राजपत्र में अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना और घोषणा के प्रकाशन का प्रावधान करता है। जाहिर है कि अधिनियम की धारा 48(1) का सहारा लेकर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से हटना भी इसी तरह से होना चाहिए। वस्तुतः, यह पहलू अब पूर्णांक नहीं रह गया है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1998) 4 एससीसी 387 के मामले में, वही तर्क जो वरिष्ठ वकील द्वारा हमारे सामने रखे गए थे, उस मामले में भी उठाए गए थे। जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1897 की धारा 21 को भी वहां लागू किया गया था। इस न्यायालय ने विचार किया: "श्री साल्वे द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 48 में किसी भी

अधिसूचना को जारी करने पर विचार नहीं किया गया है और अधिग्रहण से वापसी सरल आदेश द्वारा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि धारा 4 और 6 में उन प्रावधानों के तहत अधिसूचनाएं जारी करने की बात की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। धारा 48 में ऐसा कोई आदेश नहीं है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि जब क़ानून को अधिग्रहण से वापसी के लिए कोई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं थी, तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का संदर्भ सही नहीं था। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 इस प्रकार है अंतर्गत: "21. जारी करने की शक्ति, अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उप- कानूनों को जोड़ने, संशोधित करने, बदलने या रद्द करने की शक्ति शामिल करने के लिए। जहां किसी भी केंद्रीय अधिनियम, या विनियमन द्वारा, अधिसूचनाएं, आदेश जारी करने की शक्ति है, नियम, या उप- कानून प्रदान किए जाते हैं, तो उस शक्ति में एक शक्ति शामिल होती है, जो समान तरीके से प्रयोग की जा सकती है और किसी भी अधिसूचना, आदेश, नियम या उप- नियम में जोड़ने, संशोधित करने, भिन्न करने या रद्द करने के लिए समान मंजूरी और शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन होती है।

श्री साल्वे ने कहा कि धारा 21 स्पष्ट रूप से किसी अधिनियम या विनियम के तहत अधिसूचना आदि जारी करने के लिए दी गई शक्तियों का उल्लेख करती है और इसके तहत उस शक्ति में किसी भी अधिसूचना को इसी तरह वापस लेने या रद्द करने की शक्ति शामिल है। इसलिए यह

प्रस्तुत किया गया कि जब धारा 48 राज्य सरकार को कोई अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं देती है और उस प्रावधान में यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि अधिसूचना द्वारा निकासी जारी की जानी थी। इसलिए, उनका तर्क यह प्रतीत होता है कि धारा 48 के चरण तक पहुंचने से पहले सामान्य धारा अधिनियम की धारा 21 की सही व्याख्या पर, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं वापस ले सकती है या पहले की अधिसूचनाओं को रद्द कर सकती है। और वह अधिग्रहण कार्यवाही का अंत होगा। हमें नहीं लगता कि श्री साल्वे अपनी दलीलों में बिल्कुल सही हैं। जब धारा 4 और 6 अधिसूचनाएँ जारी की जाती हैं, तो अधिग्रहण प्रक्रिया की दिशा में बहुत कुछ किया जा चुका होता है और केवल उन अधिसूचनाओं को रद्द करके उस प्रक्रिया को उलटा नहीं किया जा सकता है। बल्कि यह धारा 48 है जिसके तहत, अधिग्रहण से हटने के बाद, अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान मालिक को हुई किसी भी क्षति के लिए मुआवजा निर्धारित किया जाता है और उसे दिया जाता है। इसलिए, यह अंतर्निहित है कि अधिग्रहण से वापसी को अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसलिए, कानून के सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं। यदि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 48 के तहत किसी भी भूमि, जिस पर कब्जा नहीं लिया गया है, के अधिग्रहण से पीछे हटने का निर्णय लेती है, तो आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करना आवश्यक है।

28. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय द्वारा उजागर की गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिससे हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं, हम मानते हैं, जैसा कि होना चाहिए, अधिग्रहण से वापसी के लिए सरकार के निर्णय को प्रकाशित किया जाना चाहिए। आधिकारिक राजपत्र बिंदु (दो) का उत्तर हम सकारात्मक देते हैं।

29. जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, सबसे पहले, सरकार द्वारा अधिग्रहण से पीछे हटने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भले ही हम तर्क के लिए यह मान लें कि ऐसा निर्णय फ़ाइल पर लिया गया था, क्योंकि ऐसा निर्णय आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है। धारा 48(1) के अर्थ के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण से कोई वापसी नहीं है। इसलिए, अधिनियम की धारा 48(2) के तहत आवेदन को उचित रूप से पोषणीय नहीं माना गया।

30. हमने ऊपर जो चर्चा की है, उसके मद्देनजर, ये सभी अपीलें विफल हो जाती हैं और खारिज की जा सकती हैं और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती हैं।

[डीके जैन और आरएम लोढ़ा न्यायाधिपतिगण]

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी किरण राठी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।